लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

खण्ड–3, प्रथम तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर

फोन नम्बर– 0771-2511191, Email-Id dpi.mdm@gmail.com

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

क्रमांक / म.भो. / 332 / JRM / 2015–16 /1986 रायपुर दिनांक 14 –12–2015

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़

विषय – मध्याह्न भोजन के वितरण पूर्व गुणवत्ता एवं स्वाद परीक्षण संबंधी पंजी के संधारण बाबत्।

संदर्भ – 8th Joint Review Mission for Mid Day Meal दल के निरीक्षण पश्चात दिये गये निर्देश। एवं भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.No.1-6/2009-Desk (MDM) दिनांक 4–12–2015

==00==

दिनांक 30 नवम्बर 2015 से 4 दिसम्बर 2015 के मध्य 8th Joint Review Mission for Mid Day Meal दल के सदस्यों द्वारा राज्य की शालाओं में संचालित मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों के आधार पर निम्न निर्देश दिये जाते हैं –

1. मध्याह्न भोजन को बच्चों में वितरण के पूर्व भोजन का स्वाद परीक्षण शाला के शिक्षक / रसोईयां / शाला विकास समिति के अध्यक्ष या सदस्य / पालक / जन प्रतिनिधि द्वारा किये जाने संबंधी निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान देखा गया है कि इस निर्देश का शालाओं में कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा, केवल उसका औपचारिक निर्वहन किया जा रहा है। कुछ शालाओं में देखा गया है कि बच्चों के भोजन कर लेने के पश्चात पंजी का संधारण किया जाता है। पंजी में परीक्षण करने वाले व्यक्ति का न तो पूरा नाम एवं पद का उल्लेख किया जा रहा है और न ही स्वाद परीक्षण में पायी जाने वाली कमियों का उल्लेख किया जा रहा है।

   इस संबंध में निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक दिवस एक शिक्षक एवं एक पालक के द्वारा मध्याह्न भोजन का गुणवत्ता एवं स्वाद परीक्षण किया जायेगा। मध्याह्न भोजन परोसने के समय 1 या 2 पालक उपस्थित हो जो शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्य भी हो सकते है। इनके द्वारा लाभांवित बच्चों की संख्या को भी

प्रमाणित किया जाना है। इस प्रकार प्रत्येक माह पालकों की उपस्थिति हेतु एक माह पूर्व से ही रोस्टर तैयार किया जाना है। रोस्टर एवं पालकों के द्वारा अवलोकन को स्वाद परीक्षण पंजी में संधारित किया जाना है।

2. निरीक्षण के दौरान देखा गया है कि मध्याह्न भोजन संबंधी ऐसी जानकारियों को पंजीबद्ध किया जा रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है। मध्याह्न भोजन के लाभांवित की जानकारी पंजीबद्ध करते समय बालक–बालिका, वर्गवार आदि को पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक नहीं है। मध्याह्न भोजन संबंधी निम्न दो पंजी का संधारण अनिवार्यतः किया जाना है –

   1. प्रति दिवस कक्षावार लाभांवित, खाद्यान्न आबंटन, कुकिंग कास्ट की जानकारी संबंधी पंजी। संलग्न प्रपत्रानुसार
   2. मध्याह्न भोजन को बच्चों को परोसने के पूर्व गुणवत्ता परीक्षण पंजी। संलग्न प्रपत्रानुसार

3. शासन स्तर से जारी स्पष्ट निर्देश के उपरांत भी निरीक्षण के दौरान देखा गया है कि रसोईया मानदेय एवं कुकिंग कास्ट की राशि का, नियमानुसार नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है। कुकिंग कास्ट की एक माह की अग्रिम राशि, संचालनकर्ता समूह को देते हुये प्रति माह के लाभांवित की प्रविष्टि के आधार पर साफ्टवेयर जनित देयक के माध्यम से नियमित भुगतान किया जाना है। जिससे पूर्व में दी गई कुकिंग कास्ट की अग्रिम राशि आगामी माह के लिये अग्रिम राशि होगी। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में इस अग्रिम राशि का समायोजन करते हुये भुगतान किया जाना है।

उक्त निर्देशों का सभी स्तर पर कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
इंद्रावती भवन नया रायपुर

पृ. क्रमांक / म.भो. / 332 / JRM / 2015–16

रायपुर दिनांक –12–2015

प्रतिलिपि,

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक

मध्याह्न भोजन गुणवत्ता एवं स्वाद परीक्षण पंजी माह ....

क्रमांक	दिनांक	शिक्षक				पालक			
		नाम	पद	टीप	हस्ताक्षर	नाम	पता / मोहल्ले का नाम	टीप	हस्ताक्षर

टीप – प्रत्येक दिवस 2 व्यक्तियों द्वारा गुणवत्ता / स्वाद परीक्षण किया जाना है, जिसमें एक शिक्षक तथा दूसरा पालक का होना अनिवार्य है।

मासिक लाभांवित एवं खाद्यान्न एवं कुकिंग कास्ट पंजी

माह –

क्रमांक	दिनांक	लाभांवित की संख्या						हस्ताक्षर		
		कक्षा 1/6	कक्षा 2/7	कक्षा 3/8	कक्षा 4	कक्षा 5	योग	प्रधानपाठक	पालक	अध्यक्ष संचालनकर्ता समूह
1										
2										
3										
4										
महायोग										

पूर्व माह का शेष चावल (क्वि में)	वर्तमान माह में प्राप्त चांवल (क्वि में)	वर्तमान माह में कुल व्यय चांवल (क्वि में)	शाला में शेष चांवल (क्वि में)	पूर्व माह का शेष/अग्रिम में देय कुकिंग कास्ट (₹ में)	वर्तमान माह में प्राप्त कु. का. (₹ में)	वर्तमान माह में कुल व्यय कु. का. (₹ में)	शाला में शेष कु.का. (₹ में)
1	2	3	4 (= 1+2-3)	1	2	3	4 (= 1+2-3)

हस्ताक्षर प्रधान पाठक

हस्ताक्षर अध्यक्ष संचालनकर्ता समूह

F. No.1-6/2009-Desk (MDM)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy
****

Shastri Bhawan, New Delhi,
Dated: 4th December, 2015

To

The Principal Secretaries / Secretaries of Education / Nodal Department for Mid Day Meal Scheme in all States/UTs

Subject: **Presence of parents for supervision and tasting of the quality of the meals under Mid Day Meal Scheme (MDMS) - reg.**

Sir / Madam,

I am directed to say that MDM Guidelines 2006, envisage tasting of mid day meals by 2-3 adults including at least one teacher before it is served to the children. The updated guidelines on food safety and hygiene issued on 13.02.2015 also reiterate that testing of food by a teacher just before serving is mandatory, a record for which is to be maintained. Further the guidelines provide that SMC member should also taste the food on a rotation basis along with the teacher.

2. In addition, the Mid Day Meal Rules 2015, notified on 30th September, 2015 envisage that the School Management Committees (SMC) shall also monitor the implementation of Mid Day Meal Scheme and shall oversee the quality of meals provided to the children, cleanliness of a place, cooking and maintenance of hygiene in implementation of the Mid Day Meal Scheme.

3. It has now been decided that in addition to the mandatory testing by one teacher, at least one parent and preferably two who may or may not be SMC members should be present during serving of the meals to students so that they can taste the food as well as certify the number of children who partake of MDM. For this purpose, a roster of such parents be drawn up in advance on a monthly basis and a register to record their observations be also maintained at the school.

4. You are requested to issue necessary instructions to all schools to ensure that these guidelines are strictly followed by concerned Principals / Headmasters of schools.

Yours faithfully,

(Gaya Prasad)
Director(MDM)
Tel.:011-23384253
Fax: 011-23382394

Copy to:

1. Director (MDM) in all States/UTs
2. SPDs, SSA in all States / UTs
3. All Divisional Heads in MDM Bureau, MHRD
4. PPS to Secretary (SE&L), MHRD
5. PPS to Joint Secretary (EE.I), MHRD